

**No. 42/119/2019-5GS-I
HARYANA GOVERNMENT
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES-II BRANCH)**

Dated Chandigarh, the 10th May, 2022

To

1. All the Administrative Secretaries to Government Haryana
2. All the Heads of Departments
3. All the Managing Directors/Chief Administrators of all Boards/Corporations of Haryana State.
4. All the Divisional Commissioner in the State of Haryana
5. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.

Subject:- Revision of Common Eligibility Test Schemes and Socio-Economic Criteria for Group-C posts.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the subject noted above and to say that the Government has revised the Common Eligibility Test Schemes and Group-C posts vide notification dated 05.05.2022 and a copy of the same is enclosed herewith for information and action where necessary.

Yours faithfully,


Superintendent General Services-II
For Chief Secretary to Government Haryana 

Endst. No. 42/119/2019-5GS-I

Dated the Chandigarh, 10th May, 2022

A copy alongwith Gazette (Extra) Notification dated 05.05.2022 is forwarded to the Secretary, Haryana Staff Selection Commission, Panchkula for information and necessary action.


Superintendent General Services-II
For Chief Secretary to Government Haryana 



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 79-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 5, 2022 (VAISAKHA 15, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(सामान्य सेवाएं-II शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2022

संख्या 42/119/2019-5जी०एस०-II.- चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अधीन अवसर की समता के मानकों के अधीन पदों पर चयन की उचित तथा युक्तिसंगत प्रक्रिया एक संवैधानिक अपेक्षा है।

चूंकि आम जनता का विश्वास प्राप्त करने तथा कायम रखने तथा सरकारी पदों पर विश्वसनीय तथा विश्वसनीयता भर्ती सुनिश्चित करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार, अध्यापन पदों को छोड़कर, पुलिस सेवा, कारागार तथा गृह रक्षी आदि के पदों सहित ग्रुप ग के सभी पदों पर सीधी भर्ती तथा उन पदों, जहां न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में मैट्रिक से कम है, से अन्यथा ग्रुप घ के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए सरकारी नियोजन के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने तथा मानकीकृत करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आरम्भ करने का प्रस्ताव करती है। यह परीक्षा, प्रत्येक वर्ष में एक बार या समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित के अनुसार की जाएगी। हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं-I शाखा में) की अधिसूचना संख्या 42/119/2019-5जीएस-1, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के अधिक्रमण में, राज्य सरकार सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने के लिए निम्नलिखित पॉलिसी की घोषणा करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।

- यह पॉलिसी सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप ग तथा घ पदों पर भर्ती करने लिए पॉलिसी, 2022 कही जा सकती है;
- यह राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भिन्न, राज्य सरकार के विभागों या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण में अध्यापन पदों को छोड़कर, पुलिस सेवा, कारागार तथा गृह रक्षी आदि के पदों सहित ग्रुप ग पदों पर सीधी भर्ती करने तथा उन पदों, जहां न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में मैट्रिक से कम है, से अन्यथा ग्रुप घ पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए लागू होगी।

2. परिभाषाएँ।

- 'अनुबंध' से अभिप्राय है, इस पॉलिसी से सलग्न अनुबंध;
- 'मूल निवासी' से अभिप्राय है, वह व्यक्ति, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर इस सम्बंध में जारी हिदायतों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हुए हरियाणा का निवासी है;

- (iii) “सामान्य पात्रता परीक्षा” से अभिप्राय है, ग्रुप ग तथा घ पदों के लिए पृथक् रूप से आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा यथा विनिश्चित उसकी ओर से किसी अन्य अभिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन/ऑफलाइन/ऑप्टिकल मार्क रीडिंग (ओ एम आर) आधारित होगी तथा यह द्विभाषी होगी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, वर्ष में एक बार या ऐसे समय, जो सरकार द्वारा निश्चित किया जाये, पर आयोजित की जाएगी;
- (iv) “सामान्य पात्रता परीक्षा अंक” से अभिप्राय है, सामान्य पात्रता परीक्षा में आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए अंक;
- (v) “सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर” से अभिप्राय है, सामान्य पात्रता परीक्षा अंक जमा अनुज्ञेय सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान, यदि कोई हो, के अंक;
- (vi) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
- (vii) “सरकार” से अभिप्राय है, मानव संसाधन विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (viii) “ग्रुप ग पद” से अभिप्राय है, अध्यापन पदों का छोड़कर, आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ईयरमार्क पुलिस सेवा, कारागार तथा गृह रक्षी आदि के पदों सहित ग्रुप ग के सभी पद जहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 या उससे अधिक है, या राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रित बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण में सीधी भर्ती।
- (ix) “ग्रुप घ पद” से अभिप्राय है, उन पदों, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 2018 में मैट्रिक से कम है, से भिन्न, आयोग द्वारा भरे जाने वाले ईयरमार्क, राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रित बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण में ग्रुप घ के सभी पद;
- (x) “ग्रुप ग पद के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंक” से अभिप्राय है, कौशल तथा/या लिखित परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, में प्राप्त किए गए अंक जमा अनुज्ञेय सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के अंक, यदि कोई हो;
- (xi) “सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के अंक” से अभिप्राय है, विनिर्दिष्ट सीमा तक सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड तथा अनुभव यदि कोई हो, का अधिमान, के मद्दे अंक, निम्नलिखित के लिए अनुज्ञेय हैं—
 - (क) इस पॉलिसी के अनुबंध क के उपबंध के अनुसार ग्रुप ग पदों के लिए आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का अवधारण;
 - (ख) इस पॉलिसी के अनुबंध ख के उपबंध के अनुसार ग्रुप ग पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंकों का अवधारण; तथा
 - (ग) हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की द्वितीय अनुसूची के उपबंध के अनुसार ग्रुप घ पदों के लिए आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का अवधारण;
- (xii) “परिवार पहचान संख्या” से अभिप्राय है, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 5 के अधीन जारी परिवार पहचान संख्या;
- (xiii) “सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों का कुलयोग” से अभिप्राय है, सामान्य पात्रता परीक्षा के अधिकतम अंकों तथा सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के अधिकतम अंकों का कुलयोग;
- (xiv) “किसी पद के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंकों का कुलयोग” से अभिप्राय है, कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अधिकतम अंकों तथा सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के अधिकतम अंकों का कुलयोग;
- (xv) “अध्यापन पद” से अभिप्राय है, आयोग द्वारा विज्ञापित पद, जिसके लिये हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) अर्हक (qualifying) करनी एक अनिवार्य योग्यता है।

3. सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक पात्रता:

- (i) ग्रुप ग पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10+2 होगी। ग्रुप घ पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर मानक में एक विषय के रूप में हिन्दी सहित मैट्रिक या हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के उपबंध के अनुसार होगी;
- (ii) कोई भी व्यक्ति सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो, —
 - (क) भारत का नागरिक; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा;

परन्तु प्रवर्ग (ख) तथा (ग) से सम्बंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

4. सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:

- (1) सामान्य पात्रता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम को निम्नलिखित को मिला कर दो भागों में विभक्त किया जायेगा—
 - (क) सामान्य ज्ञान, विवेचन, परिमाणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिन्दी तथा यथा लागू सुसंगत या सम्बद्ध विषय (विषयों), तथा ग्रुप ग पदों के लिए अतिरिक्त कम्प्यूटर ज्ञान, के लिए 75 प्रतिशत अधिमान;
 - (ख) हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान।
- (2) ग्रुप ग पदों के लिए प्रश्न पत्र वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा (अर्थात् 10+2 स्तर) के स्तर तथा ग्रुप घ पदों के मामले में माध्यमिक शिक्षा (मैट्रिक स्तर) के स्तर का होगा।

5. सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण:

- (i) सभी आवेदक आयोग द्वारा जारी विज्ञापन द्वारा प्रकाशित की गई ऐसी अंतिम तिथि तक निर्दिष्ट पोर्टल अर्थात् onetimereg.haryana.gov.in पर आवेदक की पहचान से सम्बंधित सभी ब्यौरे, मुहैया करके तथा आरक्षण, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव तथा सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के लिए दावे सहित किसी दावे से सम्बंधित सभी अपेक्षित दस्तावेज तथा ऐसे अन्य ब्यौरे, जो भर्ती के प्रयोजन के लिए समय-समय पर सरकार या आयोग द्वारा मांगे जाएं, अपलोड करके पंजीकरण करवायेंगे।
- (ii) निवास, शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं, जाति तथा अनुभव प्रमाण-पत्र, परिवार की आय/परिसम्पत्ति, माता-पिता की स्थिति (यदि माता-पिता में से किसी की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु प्रमाण-पत्र का सत्यापन शामिल है), महिला आवेदक की वैवाहिक स्थिति, कानूनी रूप से अलग हुई महिला का पृथक्करण प्रमाण-पत्र, अशक्तता प्रमाण-पत्र, खेल ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र, अनअधिसूचित जन जाति/विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित प्रमाण-पत्र, स्वतन्त्रता सैनानी पर आश्रित प्रमाण-पत्र, एफ०आई०आर० की प्रति इत्यादि के सम्बंध में आवेदकों के दावों के सत्यापन के लिए भर्ती अभिकरण को समर्थ बनाने हेतु परिवार पहचान संख्या।
- (iii) आवेदक अपनी परिवार पहचान संख्या तथा आधार संख्या या समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रलेखन के आधार पर अन्यथा से प्रयोग करके पंजीकरण करवा सकता है।
- (iv) पंजीकरण पर, आवेदक को एक पंजीकरण संख्या आबंटित की जायेगी, जो परीक्षा तथा भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित सभी कार्यवाहियों के लिये आई डी सन्दर्भ होगी। आवेदक, जो पंजीकरण संख्या प्राप्त करता है तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्ष में ग्रुप ग तथा/या ग्रुप घ के पद (पदों) के लिए सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारी का प्रस्ताव करना चाहता है, को पुनः पंजीकरण नहीं करवाना होगा, किन्तु पश्चात्तर्वर्ती वर्ष में विचारण के लिए उसी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए और अपेक्षित फीस का भुगतान करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

6. सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए फीस:

- (1) सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए प्रति परीक्षा प्रक्रिया फीस निम्न अनुसार होगी:-

क्रम संख्या	प्रवर्ग	हरियाणा का निवासी		हरियाणा का अनिवासी	
		जो परिवार पहचान पत्र संख्या/आधार संख्या उपलब्ध करवाता है	जो परिवार पहचान पत्र संख्या/आधार संख्या उपलब्ध नहीं करवाता है	जो आधार संख्या उपलब्ध करवाता है	जो आधार संख्या उपलब्ध नहीं करवाता है
1.	2	3	4	5	6
1	सामान्य प्रवर्ग के पुरुष आवेदक	50% की मानक दर	मानक दर	50% की मानक दर	मानक दर
2	पुरुष आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक के बालक हैं	50% की मानक दर	मानक दर	50% की मानक दर	मानक दर

क्रम संख्या	प्रवर्ग	हरियाणा का निवासी		हरियाणा का अनिवासी	
3	महिला आवेदक, जो सामान्य प्रवर्ग या आरक्षित प्रवर्ग सम्बन्धित है।	25% की मानक दर	50% की मानक दर	50% की मानक दर	मानक दर
4	भूतपूर्व सैनिक	25% की मानक दर	50% की मानक दर	50% की मानक दर	मानक दर
5	दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 में आते हैं।	25% की मानक दर	50% की मानक दर	50% की मानक दर	मानक दर
6	आवेदक, जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है	25% की मानक दर	50% की मानक दर	50% की मानक दर	मानक दर

नोट 1:— उपरोक्त तालिका के लिए मानक दर, 1,000/- रुपये या समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निश्चित होगी।

नोट 2:— कोई आवेदक, जिसने पंजीकरण के समय पर फीस जमा करवा दी है, ग्रुप ग तथा घ के दोनों पदों के लिये सामान्य पात्रता परीक्षा में एक बार बैठने का हकदार होगा। तथापि, आवेदक, जो ग्रुप ग या ग्रुप घ पदों के लिये अपने स्कोर में सुधार करने हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा में पुनः उपस्थित होना चाहता है, तो उसे पुनः फीस जमा करवानी होगी।

7. ग्रुप ग पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा तथा अंक:

- किसी आवेदक, जो किसी उपयुक्त ग्रुप ग पद हेतु सीधी भर्ती लिए आवेदन करना चाहता है, को ग्रुप ग पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना होगा।
- आयोग, सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने का अपना आशय बताते हुए राज्य सरकार के विभागों या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रित किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रुप ग पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा।
- ऐसा आवेदक, जो निर्दिष्ट पोर्टल पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट सामान्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है किंतु वर्ष, जिसमें सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, के दौरान उचित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए उसे परीक्षा में उपस्थित होना है, तो सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होगा:

परन्तु ऐसे आवेदक के नाम पर कौशल तथा/या लिखित परीक्षा का आयोजन करने के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि तक उस पद के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तथा/या अनुभव, यदि कोई हो, अर्जित करने तक विज्ञापित पदों के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

- ऐसा आवेदक, जिसने सामान्य पात्रता परीक्षा हेतु पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में नियत अंतिम तिथि को ग्रुप ग पद के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश करने हेतु, सरकार द्वारा विहित न्यूनतम आयु पूरी नहीं की है या जिसने अधिकतम आयु सीमा पार कर ली है, सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र होगा। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा अन्य प्रवर्गों के आवेदकों को तथा अनुभव के कारण उपरी आयु सीमा में छूट समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों या हिदायतों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।
- प्रत्येक आवेदक, जो सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठता है, को सामान्य पात्रता परीक्षा में उसके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये जाएंगे। सामान्य प्रवर्ग के आवेदक को द्वितीय स्तर के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के लिए पात्रता हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक (सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के सिवाए) प्राप्त करने होंगे, तथापि, आरक्षित प्रवर्ग (अनुलम्ब तथा समस्तर दोनों) के आवेदक सामान्य पात्रता

परीक्षा के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु 10 प्रतिशत की दर से छूट प्राप्त करेगा अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 40 प्रतिशत (सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के सिवाए) होगी। किसी प्रवर्ग का आवेदक, जो सामान्य पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंकों से कम प्राप्त करता है, को आगामी या किसी पश्चात्पूर्ति प्रयास में सामान्य पात्रता परीक्षा में पुनः बैठना होगा।

- (vi) आवेदकों के सामान्य पात्रता परीक्षा अंक आयोग की वेबसाइट पर घोषित किए जायेंगे।
- (vii) कोई आवेदक सामान्य पात्रता परीक्षा, जब कभी पश्चात्पूर्ति तिथि को आयोजित की जाती है, में पुनः बैठने के लिए पात्र होगा तथा सामान्य पात्रता परीक्षा अंक संशोधित किए जाएंगे यदि आवेदक आगामी या किसी पश्चात्पूर्ति प्रयास में सुधार करता है।
- (viii) सामान्य पात्रता परीक्षा के लिखित परीक्षा घटक में बैठने के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि आवेदक, जो ग्रुप ग पद के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पहले अर्हक कर लेता है, यदि वह चाहता है, को आगामी या किसी पश्चात्पूर्ति अवसर में अपने सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों में सुधार करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में पुनः बैठने का विकल्प होगा।
- (ix) आवेदक द्वारा प्राप्त सामान्य पात्रता परीक्षा अंक सामान्य पात्रता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे, परन्तु यदि आवेदक आगामी या किसी पश्चात्पूर्ति प्रयास में अपने सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों में सुधार करता है, तो तीन वर्ष की वैधता की नई अवधि ऐसे प्रयास के परिणाम की घोषणा की तिथि से प्रारम्भ होगी।

सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों की वैधता पर स्पष्टीकरण के लिए इस पॉलिसी के अनुबंध ग पर उदाहरण संख्या 1 देखिए।

- (x) किसी आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की संगणना के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों को आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर पर पहुँचने के लिए सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के मद्दे स्कोर, यदि कोई हो, में जोड़ दिया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर पर पहुँचने के लिए संगणना की क्रियाविधि अनुबंध ग पर उदाहरण संख्या 2 में उद्धृत की गई है।
- (xi) सामान्य पात्रता परीक्षा अंक तथा सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान, यदि कोई हो, आवेदक, जो उपरोक्त उपखण्ड (v) के अनुसार विनिर्दिष्ट कट-ऑफ प्राप्त करता है, के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

8. ग्रुप घ पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा तथा अंक:

- (i) किसी आवेदक, जो किसी उपयुक्त ग्रुप घ पद पर सीधी भर्ती लिए आवेदन करना चाहता है, को ग्रुप घ पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठना होगा।
- (ii) आयोग, सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने का अपना आशय बताते हुए राज्य सरकार के विभागों या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रित किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रुप घ पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा।
- (iii) ऐसा आवेदक, जो निर्दिष्ट पोर्टल पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व न्यूनतम आयु पूरी करता है सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट सामान्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है किंतु वर्ष जिसमें सामान्य परीक्षा आयोजित की जाती है, के दौरान उचित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए उसे परीक्षा में उपस्थित होना है, सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होगा।

परन्तु ऐसा आवेदक, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि तक उस पद के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तथा /या अनुभव, यदि कोई हो, अर्जित करने तक विज्ञापित पदों पर चयन के लिए बराबर या कम सामान्य पात्रता अंक वाले समरूप प्रवर्ग के अन्य पात्र उम्मीदवारों की तरह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

- (iv) कोई आवेदक, जिसने सामान्य पात्रता परीक्षा हेतु पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में नियत अंतिम तिथि को ग्रुप ग पद के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश करने हेतु सरकार द्वारा विहित न्यूनतम आयु पूरी नहीं की है या जिसने अधिकतम आयु सीमा पार कर ली है, सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र होगा। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा अन्य प्रवर्गों के आवेदकों को तथा अनुभव के कारण उपरी आयु सीमा में छूट समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों या हिदायतों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।
- (v) प्रत्येक आवेदक, जो सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठता है, को सामान्य पात्रता परीक्षा में उसके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये जाएंगे। सामान्य प्रवर्ग के आवेदक को सामान्य पात्रता परीक्षा में अपने प्रदर्शन के आधार पर 50 प्रतिशत अंक (सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के सिवाए) प्राप्त करने होंगे, तथापि, आरक्षित प्रवर्ग (अनुलम्ब तथा समस्तर दोनों) के आवेदक, सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु 10 प्रतिशत की दर से छूट प्राप्त करेगा अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 40 प्रतिशत (सामाजिक-आर्थिक

- मापदण्ड अधिमान के सिवाए) होगी। किसी प्रवर्ग का आवेदक, जो सामान्य पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंकों से कम प्राप्त करता है, तो उसे आगामी या किसी पश्चात्पूर्ती प्रयास में सामान्य पात्रता परीक्षा में पुनः बैठना होगा।
- (vi) आवेदकों के सामान्य पात्रता परीक्षा अंक, आयोग की वेबसाइट पर घोषित किए जायेंगे।
- (vii) कोई आवेदक सामान्य पात्रता परीक्षा, जब कभी पश्चात्पूर्ती तिथि को आयोजित की जाती है, में पुनः बैठने के लिए पात्र होगा तब सामान्य पात्रता परीक्षा अंक संशोधित किए जाएंगे यदि आवेदक आगामी या किसी पश्चात्पूर्ती प्रयास में सुधार करता है।
- (viii) सामान्य पात्रता परीक्षा के लिखित परीक्षा घटक में बैठने के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि आवेदक, जिसने ग्रुप घ पद के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पहले ही अर्हक कर ली है, यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे आगामी या किसी पश्चात्पूर्ती अवसर में अपने सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों में सुधार करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में पुनः बैठने का विकल्प होगा।
- (ix) किसी आवेदक द्वारा प्राप्त सामान्य पात्रता परीक्षा अंक, सामान्य पात्रता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। परन्तु यदि आवेदक आगामी या किसी पश्चात्पूर्ती प्रयास में अपने सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों में सुधार करता है, तो तीन वर्ष की वैधता की नई अवधि ऐसे प्रयास के परिणाम की घोषणा की तिथि से प्रारम्भ होगी।
- सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों की वैधता पर स्पष्टीकरण के लिए इस पॉलिसी के अनुबंध ग पर उदाहरण संख्या 1 देखिए।
- (x) किसी आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की संगणना के लिए, सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक, आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर पर पहुँचने के लिए सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान के मद्दे स्कोर, यदि कोई हो, जोड़ दिए जाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर पर पहुँचने के लिए संगणना की क्रियाविधि अनुबंध ग पर उदाहरण संख्या 3 में उद्धृत की गई है।
- (xi) सामान्य पात्रता परीक्षा अंक तथा सामाजिक-आर्थिक मापदण्ड अधिमान, यदि कोई हो, आवेदक, जो उपरोक्त उपखण्ड (v) के अनुसार विनिर्दिष्ट कट-ऑफ प्राप्त करता है, के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

9. ग्रुप ग पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया:

- (i) उपरोक्त खण्ड 7 के उपखण्ड (xi) के अनुसार सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के प्रकाशन के बाद, भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को विज्ञापित पदों की कौशल तथा/या लिखित परीक्षा आयोजित करने के कार्यक्रम, प्रक्रिया/रीति तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा/या अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि सहित आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। विज्ञापन जारी करने पर, आयोग उस पद के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में बैठने हेतु इच्छुक उम्मीदवार की जानकारी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा:
- परन्तु कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या, जो आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर ऐसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे, निम्न अनुसार होगी:-
- (क) विज्ञापित पदों की संख्या के पांच गुणा के बराबर उम्मीदवार, यदि संख्या 30 से कम है;
- (ख) 150 उम्मीदवार, यदि संख्या 30 तथा 50 के बीच में है;
- (ग) विज्ञापित पदों की संख्या के चार गुणा के बराबर उम्मीदवार, यदि संख्या 50 से अधिक है;
- पात्र उम्मीदवार अपनी पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके आयोग की वेबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करेंगे। आवेदन प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि भी आयोग द्वारा विज्ञापन में वर्णित की जाएगी।
- (ii) यदि अंतिम उम्मीदवार का सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर, जिसने उपरोक्त उपखंड (i) के अनुसार पद के लिए आवेदन किया है, एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया है, तो सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के कट-ऑफ के सभी उम्मीदवार, जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया है, आयोग द्वारा विज्ञापित पद (पदों) के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में बैठने के लिए पात्र समझे जाएंगे।
- (iii) केवल वही उम्मीदवार, जो उपरोक्त उपखण्ड (i) के अधीन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि को आयोग द्वारा विज्ञापित पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, जिन्होंने विचारण के लिए पद हेतु आवेदन किया है, को प्रवेश कार्ड जारी किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।
- (iv) मिन्न-मिन्न नामपद्धति किंतु समरूप शैक्षिक योग्यताओं वाले पदों की मांग की प्राप्ति पर, आयोग इस शर्त सहित एक ही सामान्य कौशल तथा/या लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम होगा कि वितरण/आबंटन, सफल उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्प की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

- (v) जब उपखण्ड (i) के अधीन आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों की संख्या, पूर्वोक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट सीमा संख्या से कम है, तो आयोग आवेदन करने के लिए पात्र उम्मीदवारों को आगे योग्य बनाने हेतु वैबसाइट पर प्रकाशन द्वारा तिथि बढ़ा सकता है।
- (vi) सामान्य प्रवर्ग के किसी पद के लिए किसी उम्मीदवार पर विचार करने हेतु, ऐसे उम्मीदवार को चयन/भर्ती के लिए विचारने हेतु कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक (सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान को छोड़ कर) प्राप्त करने हैं। आरक्षित प्रवर्ग के पद (चाहे अनुलम्ब तथा समस्तर) के लिए विचारण के मामले में, उम्मीदवार को कौशल तथा/या लिखित परीक्षा, के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु 10 प्रतिशत की दर से छूट प्राप्त होगी, अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 40 प्रतिशत होगी, (सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान को छोड़ कर), क्योंकि उन्हें न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत छूट दी गई है। ग्रुप ग पद के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंकों की संगणना के लिए इस पॉलिसी के अनुबंध ग का उदाहरण संख्या 4 देखिए।
- (vii) आयोग, लिखित/कौशल परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों तथा 2.5 प्रतिशत की दर पर अनुज्ञेय सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान, यदि कोई हो, के आधार पर सम्बंधित प्रवर्गों में चयन, सिफारिश करने या प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेगा तथा खण्ड 12 के अनुसार वैबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

किसी उम्मीदवार के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के कुल अंकों की संगणना के लिए, कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों में, उम्मीदवार के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के कुल अंको को प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के मद्दे स्कोर, यदि कोई हो, को जोड़ा जाएगा। उम्मीदवार के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के कुल अंकों को प्राप्त करने के लिए संगणना क्रियाविधि को समझने को आसान बनाने के लिए अनुबंध ग पर उदाहरण संख्या 5 उद्धृत किया गया है।

सरकार की किन्ही हिदायतों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के बाद सम्बंधित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की अनुपलब्धता के मामले में, रिक्त रहने वाले पद को आरक्षण पॉलिसी के अनुसार पुनः विज्ञापित किया जाएगा। इस शर्त का स्पष्ट वर्णन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में किया जाएगा।

10. ग्रुप घ पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया:

आयोग सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों तथा 5 प्रतिशत की दर पर अनुज्ञेय सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान यदि कोई हो, के आधार पर, सम्बंधित प्रवर्गों में चयन, सिफारिश करने या प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेगा तथा खण्ड 12 के अनुसार वैबसाइट पर प्रकाशित करेगा। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को आयोग द्वारा उन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार की जानकारी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार विज्ञापन में यथा सूचित ऐसी अंतिम तिथि तक अपनी पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके आयोग की वैबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेंगे। तदनुसार, आयोग ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति के लिए सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नामों की सिफारिश करेगा।

11. आयोग द्वारा उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के नामों की सिफारिश:

मेरिट के क्रम में पात्र उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकारी को की जाएगी तथा ऐसे उम्मीदवार तब तक सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के आधार पर आगे चयन के लिए विचारे जाने हेतु अपात्र होंगे जब तक वे सामान्य पात्रता परीक्षा में नए सिरे से नहीं बैठते हैं तथा नया सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर प्राप्त नहीं करते हैं।

12. प्रतीक्षा सूची:

- (1) ग्रुप ग तथा घ के सभी पदों की प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा निम्न अनुसार घोषित की जायेगी:-

(i)	जहां प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित संख्या 25 तक है	न्यूनतम दो उम्मीदवारों के अध्यक्षीन 25 प्रतिशत की दर से
(ii)	जहां प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित संख्या 25 से 50 के बीच है	15 प्रतिशत की दर से
(iii)	जहां प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित संख्या 50 से अधिक है	न्यूनतम आठ उम्मीदवारों के अध्यक्षीन 10 प्रतिशत की दर से

- (2) मुख्य सूची तथा प्रतीक्षा सूची परिणाम की घोषणा तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगी।
- (3) प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि के दौरान चयनित/नियुक्त उम्मीदवार के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त होने वाले पद प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे तथा प्रतीक्षा सूची के क्रियाशील/प्रभावशील रहने तक पुनः ऐसी रिक्तियों को विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है।

13. अभिलेख का रख-रखाव:

सामान्य पात्रता परीक्षा के अभिलेख को हार्ड प्रति के रूप में परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष तक संरक्षित रखा जाएगा। अभिलेखों की डिजिटल प्रति पांच वर्ष तक रखी जाएगी।

14. अधिकारिता:

सामान्य पात्रता परीक्षा के सम्बन्ध में सभी कानूनी विवाद, केवल पंचकूला (हरियाणा) के न्यायालयों की अधिकारिता के अध्वधीन होंगे।

15. व्यावृत्ति:

सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदकों के पंजीकरण सहित हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं-I शाखा में), अधिसूचना संख्या 42/119/2019-5जीएस-I, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना के परिणाम स्वरूप की गई कोई कार्रवाई, इस पॉलिसी के अधीन की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

16. संशोधन करने की शक्ति:

इस अधिसूचना के किसी उपबंध व्याख्या, परिवर्तन, संशोधन करने और संदेह का निवारण करने की शक्ति मानव संसाधन विभाग के पास होगी।

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

अनुबन्ध-क

[देखिए खण्ड 2 का उप-खण्ड (xi)]

ग्रुप ग पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा हेतु सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड

सामान्य पात्रता परीक्षा में अधिकतम पाँच प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान, निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्र उम्मीदवारों को अनुज्ञेय होगा:-

(1) आवेदक, जो हरियाणा का मूल निवासी है, 5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते की वह:-

- न तो स्वयं और न ही आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है/था या रहा है; तथा
- आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से परिवार की सकल वार्षिक आय केवल एक लाख अस्सी हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

टिप्पण:- उपरोक्त (i) तथा (ii) के बारे में, पुष्टि परिवार पहचान पत्र तथा/या एच आर एम एस के डाटा से की जाएगी।

व्याख्या:- "नियमित कर्मचारी" शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जो संविदात्मक आधार, दैनिक मजदूरी या अतिथि अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि के रूप में कार्यरत है।

(5 प्रतिशत)

(2) सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के प्रयोजन के लिए परिवार की परिभाषा निम्न अनुसार होगी -

(i)	पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई (भाइयों), तथा पुत्र (पुत्रों);
(ii)	अविवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता तथा अविवाहित भाई (भाइयों);
(iii)	विवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर-जेठ तथा पुत्र (पुत्रों);
(iv)	तलाकशुदा महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, अविवाहित भाई (भाइयों) और पुत्र (पुत्रों)।

(3) यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है और,-

(i)	विधवा है ; या
(ii)	प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई है ; या
(iii)	प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक की पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है,

तो परिवार पहचान-पत्र या विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र में प्रविष्टियों के अध्वधीन 5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगी/होगा।

(5 प्रतिशत)

(4) यदि आवेदक, हरियाणा का मूल निवासी है और राज्य की ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो 5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा।

(5 प्रतिशत)

(5) यदि आवेदक, हरियाणा का मूल निवासी है, तो उसे हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण, सहकारिता बैंक इत्यादि में समरूप या उच्चतर पद पर प्रत्येक एक वर्ष या छह मास से अधिक उसके भाग के अनुभव के लिए आधा प्रतिशत अधिमान दिया जायेगा। छह मास से कम की किसी अवधि या आठ वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 4 प्रतिशत)

टिप्पण:- सकल परिवार आय तथा सेवा में किसी परिवार के सदस्य के नियोजन की कोई शर्त, अनुभव के अधिमान के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगी।

(6) अन्य शर्तें :-

- (i) किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए कुल 5 प्रतिशत से अधिक अधिमान नहीं दिया जाएगा। उसके सम्बंध में, यदि कोई आवेदक उपरोक्त पैरा (1) से (5) के उपबन्ध के अनुसार 5 प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से अधिक के लिए पात्र है, तो सामाजिक-आर्थिक अधिमान अधिकतम 5 प्रतिशत होगा।
- (ii) हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण/निकाय द्वारा ग्रुप ग तथा घ के पद के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु अधिमान जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा।
- (iii) यदि व्यक्ति स्वयं या उसका पारिवारिक सदस्य, अधिमान के लाभ सहित या के बिना एक बार चयनित/नियुक्त हो जाता है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी या किसी अन्य पद, जिसके लिए उपरोक्त पैरा 2 में यथा परिभाषित किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, पर चयन/नियुक्ति के लिए अधिमान हेतु नहीं विचारा जाएगा।

व्याख्या:- “एक बार चयनित/नियुक्त” शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जिसकी सेवा, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में घोषित चयन सूची में संशोधन के कारण समाप्त की गई है, ऐसे मामले में, उस चयन/नियुक्ति को इस प्रयोजन के लिए उपेक्षित कर दिया जाएगा।

- (iv) यदि किसी समय पर ग्रुप ग तथा/या ग्रुप घ पदों की सामान्य पात्रता परीक्षा की मैरिट सूची के लिए दो या दो से अधिक परिवार के सदस्य पात्र हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में, क्रमशः दो या दो से अधिक पात्र परिवार के सदस्यों में से ज्येष्ठ/अग्रज को सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के प्रयोजन के लिए विचारा जाएगा। तथापि, अनुभव का अधिमान उपरोक्त पैरा(5) के आधार पर एक से अधिक परिवार के सदस्य, यदि कोई हों, को अनुज्ञेय होगा।
- (v) यदि व्यक्ति किसी भी कारणवश हरियाणा सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी विभाग/बोर्ड/निगम में नियमित आधार पर कार्य करते हुए किसी भी कारण से सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है, तो वह या परिवार का कोई अन्य सदस्य, सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान का दौबारा दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा।

अनुबन्ध-ख

[देखिए खण्ड 2 का उपखण्ड (xi)]

ग्रुप ग पदों के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड

कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में अधिकतम अढ़ाई प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्र उम्मीदवारों को अनुज्ञेय होगा:-

(1) आवेदक, जो हरियाणा का मूल निवासी है, तो 2.5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा बशर्ते की वह:-

- न तो स्वयं और न ही आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है/था या रहा है; तथा
- आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से परिवार की सकल वार्षिक आय केवल एक लाख अस्सी हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

टिप्पण:- उपरोक्त (i) तथा (ii) के बारे में पुष्टि परिवार पहचान पत्र तथा/या एच आर एम एस के डाटा से की जाएगी।

व्याख्या:- "नियमित कर्मचारी" शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जो संविदात्मक आधार, दैनिक मजदूरी या अतिथि अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि के रूप में कार्यरत है।

(2.5 प्रतिशत)

(2) सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के प्रयोजन के लिए परिवार की परिभाषा निम्न अनुसार होगी -

(i)	पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई (भाइयों), तथा पुत्र (पुत्रों);
(ii)	अविवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता तथा अविवाहित भाई (भाइयों);
(iii)	विवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर-जेठ तथा पुत्र (पुत्रों);
(iv)	तलाकशुदा महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, अविवाहित भाई (भाइयों) और पुत्र (पुत्रों)।

(3) यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हैं और,-

(i)	विधवा है ; या
(ii)	प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई है ; या
(iii)	प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक की पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है,

तो परिवार पहचान-पत्र या विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में प्रविष्टियों के अध्वधीन 2.5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा।

(2.5 प्रतिशत)

(4) यदि आवेदक, हरियाणा का मूल निवासी है और राज्य की ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो 2.5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगी/होगा।

(2.5 प्रतिशत)

(5) यदि आवेदक, हरियाणा का मूल निवासी है, तो उसे हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण, सहकारिता बैंक इत्यादि में समरूप या उच्चतर पद पर प्रत्येक एक वर्ष या छह मास से अधिक उसके भाग के अनुभव के लिए आधा प्रतिशत अधिमान दिया जायेगा। छह मास से कम की किसी अवधि या आठ वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 4 प्रतिशत)

टिप्पण:- सकल परिवार आय तथा सेवा में किसी परिवार के सदस्य के नियोजन की कोई शर्त, अनुभव के अधिमान के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगी।

(6) अन्य शर्तें :-

- (i) किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए कुल 2.5 प्रतिशत से अधिक अधिमान नहीं दिया जाएगा। उसके सम्बंध में यदि कोई आवेदक उपरोक्त पैरा (1) से (5) के उपबन्ध के अनुसार 2.5 प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से अधिक के लिए पात्र है, तो सामाजिक-आर्थिक अधिमान अधिकतम 2.5 प्रतिशत होगा।
- (ii) हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण/निकाय द्वारा ग्रुप ग तथा घ के पद के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु अधिमान जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा।
- (iii) यदि व्यक्ति स्वयं या उसका पारिवारिक सदस्य, अधिमान के लाभ सहित या के बिना एक बार चयनित/नियुक्त हो जाता है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी या किसी अन्य पद, जिसके लिए उपरोक्त पैरा 2 में यथा परिभाषित किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, पर चयन/नियुक्ति के लिए अधिमान हेतु नहीं विचारा जाएगा।

व्याख्या:- “एक बार चयनित/नियुक्त” शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसकी सेवा, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में घोषित चयन सूची में संशोधन के कारण समाप्त की गई है, ऐसे मामले में, उस चयन/नियुक्ति को इस प्रयोजन के लिए उपेक्षित कर दिया जाएगा।

- (iv) यदि किसी समय पर ग्रुप ग तथा/या ग्रुप घ पदों की सामान्य पात्रता परीक्षा की मैरिट सूची के लिए दो या दो से अधिक परिवार के सदस्य पात्र हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में क्रमशः दो या दो से अधिक पात्र परिवार के सदस्यों में से ज्येष्ठ/अग्रज को सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के प्रयोजन के लिए विचारा जाएगा। तथापि, अनुभव का अधिमान उपरोक्त पैरा (5) के आधार पर एक से अधिक परिवार के सदस्य, यदि कोई हों, को अनुज्ञेय होगा।
- (v) यदि व्यक्ति किसी भी कारणवश हरियाणा सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी विभाग/बोर्ड/निगम में नियमित आधार पर कार्य करते हुए, किसी भी कारण से सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है, तो वह या परिवार का कोई अन्य सदस्य सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान का दौबारा दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा।

अनुबंध-ग

उदाहरण सख्या 1:-

किसी आवेदक द्वारा सुधार के मामले में सामान्य पात्रता परीक्षा अंकों की वैधता:

मिस्टर क वर्ष 2022 के दौरान सामान्य पात्रता परीक्षा-2022 में उपस्थित हुआ तथा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वह अपने अंकों में सुधार के लिए वर्ष 2023 में आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा -2023 में पुनः उपस्थित हुआ क्योंकि वह उस स्थिति तक किसी पद पर नियुक्त नहीं हुआ था। अब उसने सामान्य पात्रता परीक्षा -2023 में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मिस्टर क के उच्चतम अंक (85 प्रतिशत) की वैधता आगामी तीन वर्ष तक सामान्य पात्रता परीक्षा -2023 के परिणाम की घोषणा की तिथि या सामान्य पात्रता परीक्षा में उसके अंकों में आगे सुधार करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगी।

मिस्टर ख वर्ष 2022 के दौरान सामान्य पात्रता परीक्षा -2022 में उपस्थित हुआ तथा 84 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वह अपने अंकों में सुधार के लिए वर्ष 2023 में आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा -2023 में पुनः उपस्थित हुआ क्योंकि वह उस स्थिति तक किसी पद पर नियुक्त नहीं हुआ अब उसने सामान्य पात्रता परीक्षा -2023 में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मिस्टर ख के उच्चतम अंक (84 प्रतिशत) की वैधता सामान्य पात्रता परीक्षा -2022 के परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अविकल आरम्भ रहेगी तथा सामान्य पात्रता परीक्षा, 2023 में प्राप्त न्यूनतम अंक (75 प्रतिशत) को इस अवधि के दौरान अवगणित कर दिया जाएगा।

उदाहरण 2: ग्रुप ग पद के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की संगणना।

1.	ग्रुप ग पद का सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का कुल योग	400
2.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम अंक	20, अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के कुल योग का 5 प्रतिशत की दर से
3.	सामान्य पात्रता परीक्षा के अधिकतम अंक	380, अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के कुल योग का 95 प्रतिशत की दर से
4.	सामान्य पात्रता परीक्षा में आवेदक द्वारा प्राप्त अंक	380 में से 300
5.	उसी या उच्चतर पद का अनुभव	5 वर्ष तथा 8 मास (अनुभव के लिए, अधिकतम 4 प्रतिशत के अध्यधीन प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक उसके भाग के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय अधिमान)
6.	आवेदक द्वारा प्राप्त सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के अंक	20+20+12=52 (अर्थात् अनुबंध-क के उपबंध के अनुसार किसी परिवार के सदस्य के गैर नियोजन के 5 प्रतिशत की दर से + अनाथ होने के 5 प्रतिशत की दर से तथा साढ़े पांच वर्ष से अधिक के अनुभव के लिये 3 प्रतिशत की दर से)
7.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के अधिकतम अंक, सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर में शामिल किये जाने हैं	20 अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा के कुल अंकों का 5 प्रतिशत (अनुबंध-क के उपबंध के अनुसार अधिमान के 52 अंकों में से, केवल 20 अंक, सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर में शामिल किये जाएंगे शेष को अवगणित कर दिया जाएगा क्योंकि अधिकतम 5 प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान ग्रुप ग पदों के लिए अनुज्ञेय है)
8.	आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का कुल योग	300+20=400 में से 320

उदाहरण 3: ग्रुप घ पद के लिए आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की संगणना

1.	ग्रुप घ पद का सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का कुल	100
2.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से प्राप्त किये जाने वाले अधिकतम अंक	5, अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के कुल योग का 5 प्रतिशत की दर से
3.	सामान्य पात्रता परीक्षा के अधिकतम अंक	95, अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के कुल योग का 95 प्रतिशत की दर से
4.	सामान्य पात्रता परीक्षा में आवेदक द्वारा प्राप्त अंक	95 में से 80
5.	समरूप या उच्चतर पद का अनुभव	4 वर्ष तथा 9 मास (अनुभव के लिए अधिकतम 4 प्रतिशत के अध्यधीन प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय अधिमान)
6.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से आवेदक द्वारा प्राप्त अंक	12.5 (अर्थात् किसी परिवार के सदस्य के गैर नियोजन के 5 प्रतिशत की दर से + अनाथ होने के 5 प्रतिशत की दर से + साढ़े चार वर्ष से अधिक अनुभव के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से)
7.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के लिए अधिकतम अंक, सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर में शामिल किये जाने हैं	5, (अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के कुल योग का 5 प्रतिशत की दर से) (अधिमान के 12.5 अंकों में से, केवल 5 अंक सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर में शामिल किये जाएंगे शेष को अवगणित कर दिया जाएगा क्योंकि अधिकतम 5 प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान ग्रुप घ पदों के लिए अनुज्ञेय है।
8.	आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का कुल योग	80+5=100 में से 85

उदाहरण सख्या 4:- कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंकों की संगणना

यदि किसी पद के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंकों का कुल योग 100 है तो उनमें से कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अधिकतम अंक 97.5 हैं, तथा 2.5 अंक सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के होंगे। सामान्य प्रवर्ग के ग्रुप ग पद पर विचारण के लिए उम्मीदवार (आरक्षित प्रवर्ग का उम्मीदवार, जिसने आयु, फीस, योग्यता आदि में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की है, सहित) को कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के न्यूनतम 48.75 अंक (अर्थात् 97.5 का 50 प्रतिशत) प्राप्त करने हैं। तथापि, आरक्षित प्रवर्ग के उसी पद पर विचारण के लिए सम्बंधित आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 39 अंक (97.5 का 40 प्रतिशत) प्राप्त करने हैं। अधिकतम 2.5 प्रतिशत की दर पर अनुज्ञेय सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान, यदि कोई हो, को कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाएगा।

उदाहरण सख्या 5:- ग्रुप ग पद के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के कुल अंकों की संगणना:-

1.	ग्रुप घ पद के लिए कौशल तथा/या लिखित परीक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के कुल अंक	100
2.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से प्राप्त किये जाने वाले अधिकतम अंक	2.5, अर्थात् उपरोक्त खाना 1 का 2.5 प्रतिशत की दर से
3.	कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के अधिकतम अंक	97.5, अर्थात् उपरोक्त खाना 1 का 97.5 प्रतिशत की दर से
4.	कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक	97.5 में से 80
5.	उसी या उच्चतर पद का अनुभव	4 वर्ष तथा 9 महीने (अनुभव के लिए, अधिकतम 2.5 प्रतिशत के अध्यधीन छः मास से अधिक प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय अनुभव, अधिमान के लिए)

6.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान से आवेदक द्वारा प्राप्त कुल अंक	7.5 (अर्थात् किसी परिवार के सदस्य के गैर नियोजन के 2.5 प्रतिशत की दर से + अनाथ होने के 2.5 प्रतिशत की दर से + साढ़े चार वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अनुभव का 2.5 प्रतिशत की दर से)
7.	सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान के लिए अधिकतम अंक सीईटी स्कोर में शामिल किये जाने हैं	2.5 प्रतिशत, (अर्थात् उपरोक्त खाना 1 के 2.5 प्रतिशत की दर से) (अधिमान के कुल 7.5 अंकों में से, केवल 2.5 अंक कौशल तथा/या लिखित परीक्षा में शामिल किए जाएंगे, शेष को अवगणित कर दिया जाएगा क्योंकि अधिकतम 2.5 प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड अधिमान ग्रुप ग पदों के लिए इस प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय है।
8.	उम्मीदवार के कौशल तथा/या लिखित परीक्षा के कुल अंक	$80+2.5=100$ में से 82.5

HARYANA GOVERNMENT
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
 (General Services-II Branch)

Notification

The 5th May, 2022

No. 42/119/2019-5GS-I.— Whereas fair and reasonable process of selection to posts subject to the norm of equality of opportunity under Article 16(1) of the Constitution of India is a constitutional requirement.

Whereas with a view to secure and sustain the confidence of the public in general and to ensure credible and trustworthy recruitments to Government posts, the Government of Haryana proposes to introduce a Common Eligibility Test to simplify and standardize the recruitment process for Government employment to all direct recruitment to Group C posts including the posts of Police service, Prisons and Home Guards etc. but excluding the teaching posts and all direct recruitment to Group D posts other than the posts where minimum educational qualification is below Matriculation in the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018). This test shall be held once every year or as decided by the Government from time to time. In supersession of Haryana Government, General Administration Department (in General Services-I Branch), Notification No. 42/119/2019-5GS-I, dated the 10th September, 2021, the State Government is pleased to declare the following policy for recruitment through the Common Eligibility Test, namely:-

1. SHORT TITLE AND APPLICABILITY.

- (i) This policy may be called the Policy for Recruitment to Group C and D posts through Common Eligibility Test, 2022.
- (ii) It shall apply to direct recruitment to Group C posts including the posts of Police service, Prisons and Home Guards etc. excluding the teaching posts and Group D posts other than those posts where minimum educational qualification is below Matriculation in the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018), in the departments of State Government or any Board, Corporation, statutory body or any other agency owned and controlled by the State Government other than any University established by or under a State Act.

2. DEFINITIONS.

- (i) 'Annexure' means the Annexures appended to this policy;
- (ii) 'bonafide resident' means a person who is a resident of Haryana satisfying the conditions specified in the instructions issued in this regard by Government from time to time;
- (iii) 'CET' means the Common Eligibility Test to be held separately for Group C and D posts which shall be a computer-based online/offline/ Optical Mark Reading (OMR) based test to be conducted by the Haryana Staff Selection Commission or any other Agency on its behalf as decided by the Government and it shall be bilingual i.e., conducted in Hindi and English once in a year or as decided by the Government;
- (iv) 'CET marks' means the marks obtained by an applicant in CET;
- (v) 'CET Score' means the CET marks plus the marks of socio-economic criteria weightage, admissible if any;
- (vi) 'Commission' means the Haryana Staff Selection Commission;
- (vii) 'Government' means the Government of State of Haryana in the Human Resources Department;
- (viii) 'Group C posts' means all Group C posts including the posts of Police Service, Prisons and Home Guards etc. but excluding the teaching posts, where the minimum educational qualification is 10+2 or above earmarked for direct recruitment in the departments of State Government, Boards, Corporations, statutory bodies or any other agency owned and controlled by the State Government, to be filled up through the Commission;
- (ix) 'Group D posts' means all Group D posts, other than the posts where minimum educational qualification is below Matriculation in the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018, as amended from time to time, earmarked for direct recruitment in the

departments of State Government, Boards, Corporations, statutory bodies or any other agency owned and controlled by the State Government, to be filled up through the Commission;

- (x) 'marks of skill and/or written examination for Group C post' means the marks obtained in skill and/or written examination, as the case may be, plus the marks for socio-economic criteria weightage, admissible, if any;
- (xi) 'Marks of Socio-economic criteria weightage' means the marks on account of weightage of socio-economic criteria and experience, if any, upto the specified limit. It is admissible for—
 - (a) determination of CET Score of an applicant for Group C posts as per provision in *Annexure-A* to this policy;
 - (b) for determination of marks of skill and/or written examination obtained by a candidate for Group C posts, as per provision in *Annexure-B* to this policy; and
 - (c) determination of CET Score of an applicant for Group D posts, as per provision in Second Schedule to Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018);
- (xii) 'Parivar Pehchan Number' means the family identification number issued under section 5 of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021);
- (xiii) 'Total of CET marks' means the total of the maximum marks of CET and maximum marks of socio-economic criteria weightage;
- (xiv) 'Total marks of skill and/or written examination of a post' means total of the maximum marks of skill and/or written examination and maximum marks of socio-economic criteria weightage;
- (xv) 'teaching posts' means the posts advertised by the Commission for which qualifying of Haryana Teacher's Eligibility Test (HTET) is one of the essential qualifications.

3. QUALIFICATIONAL ELIGIBILITY TO APPEAR IN CET.

- (i) The minimum educational qualification shall be class 10+2 for eligibility to appear in CET for Group C posts. The minimum qualification shall be Matric alongwith Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Standard or as per provision in Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018) for eligibility to appear in CET for Group D posts.
- (ii) No person shall be eligible to appear in CET unless he is,—
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

4. Syllabus for CET.

- (1) The syllabus for Common Eligibility Test shall be divided into two parts comprising—
 - (a) 75% weightage for General Awareness, Reasoning, quantitative ability, English, Hindi, and relevant or concerned subject(s), as applicable; and for Group C posts, computer knowledge in addition;
 - (b) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Environment, Culture etc. of Haryana.
- (2) The question paper shall be of the level of senior secondary education (i.e. 10+2 level) for Group C posts and of the level of secondary education (Matric level) in case of Group D posts.

5. REGISTRATION FOR CET :

- (i) All applicants shall register on a designated portal i.e. onetimereg.haryana.gov.in by such last date to be published by an advertisement issued by the Commission, providing all particulars relating to the identity of the applicant and uploading all the required documents relating to any claim including claim

for reservation, educational qualifications, experience and socio-economic criteria weightage and such other details as the Government or the Commission may seek, from time to time, for the purpose of recruitment.

- (ii) The Parivar Pehchan Number enables the recruiting agency to verify the applicant's claims in respect of residence, educational and other qualifications, caste and experience certificate, family income/assets, status of parents (if any parent is deceased the verification of death certificate is involved), marital status of female applicant, separation certificate of legally separated women, disability certificate, sports gradation certificate, denotified tribe/Vimukt Jati certificate, certificate of ex-serviceman, dependent of ex-servicemen certificate, dependent of freedom fighter, FIR copy etc.
- (iii) The applicant may register using his Parivar Pehchan Number or Aadhaar Number or otherwise on the basis of such documentation as may be specified by Government from time to time.
- (iv) On registration, the applicant shall be allocated a Registration Number which shall be the reference ID for all purposes concerning the examination and recruitment process. An applicant who obtains the Registration Number and intends to offer candidature for direct recruitment for Group C and/or Group D post(s) in subsequent years shall not have to re-register but shall apply online for consideration in subsequent years using the same Registration number and pay the requisite fee.

6. FEES FOR CET :

- (1) For CET, the processing fees per test shall be as under :-

Sr. No.	Category	Residents of Haryana		Non-residents of Haryana	
		who provide PPNumber/ Aadhaar No.	who do not provide PPNumber/ Aadhaar No.	who provide Aadhaar No.	who do not provide Aadhaar No.
1	2	3	4	5	6
1	Male applicants of general category	50% of Standard Rate	Standard Rate	50% of Standard Rate	Standard Rate
2	Male applicants who are children of Ex-Servicemen	50% of Standard Rate	Standard Rate	50% of Standard Rate	Standard Rate
3	Female applicants who are of general category or reserved category	25% of Standard Rate	50% of Standard Rate	50% of Standard Rate	Standard Rate
4	Ex-servicemen	25% of Standard Rate	50% of Standard Rate	50% of Standard Rate	Standard Rate
5	Disabled persons who covered under the Right of Persons with Disabilities Act, 2016	25% of Standard Rate	50% of Standard Rate	50% of Standard Rate	Standard Rate
6	Applicants who belong to S/Caste, Backward Class, Economically Weaker Sections	25% of Standard Rate	50% of Standard Rate	50% of Standard Rate	Standard Rate

Note 1.— For the above table, the Standard Rate shall be Rs. 1,000/- or as fixed by Government from time to time.

Note 2.— An applicant who deposited the fee at the time of registration shall be entitled to appear once in the CET, for both the posts of Group C and D. However, an applicant who wants to re-appear in CET to improve his marks either for Group C or Group D posts shall have to deposit the fee again.

7. CET EXAMINATION AND MARKS FOR GROUP C POSTS:

- (i) An applicant who intends to apply for direct recruitment to any applicable Group C post shall have to appear in CET for Group C posts.
- (ii) The Commission shall issue an advertisement for Group C posts based on requisition received from the Departments of State Government or any Board, Corporation, statutory body or any other agency owned and controlled by the State Government stating its intent to conduct the CET.
- (iii) An applicant who does not possess the CET minimum educational qualification specified for CET before the last date of registration for CET on the designated portal but is due to appear for the examination to attain the appropriate educational qualification during the year in which the CET is conducted, shall also be eligible to appear in the CET:

Provided that the name of such applicant shall not be considered for skill and/or written examination for the advertised posts until he acquires the minimum essential educational qualification and/or experience, if any, specified for that post by the last date for attaining such minimum qualification specified in the advertisement issued by the Commission for the conduct of skill and/or written examination.

- (iv) An applicant who has not attained the minimum age or who has crossed the maximum age limit prescribed by Government for entry into Government service for Group C post as on the last date fixed in the advertisement published by the Commission for registration for CET shall be ineligible to appear in CET. The relaxation in upper age limit to the applicants of Scheduled Castes, Backward Classes and other categories and of experience shall be admissible as per rules or instructions issued by Government from time to time.
- (v) Every applicant, who appears in the CET, shall be given marks based on his performance in the CET. An applicant of general category shall have to obtain minimum 50% marks in CET (excluding the socio-economic criteria weightage) to be eligible for skill and/or written examination of second stage, however, an applicant of reserved category (both vertical and horizontal) shall receive concession @ 10%, for the purpose of eligibility for CET, i.e. the minimum cut-off for such candidates shall be 40% (excluding the socio-economic criteria weightage). An applicant of any category who obtains less than the minimum marks in CET, shall have to re-appear in CET in the next or any subsequent attempt.
- (vi) The CET marks of applicants shall be declared on the website of the Commission.
- (vii) An applicant shall be eligible to reappear in CET whenever conducted on a subsequent date and the CET marks shall be revised if the applicant improves it in the next or any subsequent attempts.
- (viii) There shall be no restriction on the number of attempts to appear in the written examination component of the CET. If an applicant who has already qualified the CET for Group C post will have the option to appear again in CET to improve his CET marks in the next or any subsequent occasion, if he so desires.
- (ix) The CET marks obtained by an applicant shall be valid for a period of three years from the date of declaration of the result of CET. Provided that if an applicant improves his CET marks in the next or any subsequent attempt, then the fresh period of validity of three years will commence from the date of declaration of result of such attempt.

For clarification on validity of CET marks, see *Illustration No. 1 at Annexure-C* of this policy.

- (x) For calculation of CET score of an applicant, the marks obtained in the CET shall be added to the score, if any, on account of socio-economic criteria weightage to arrive at the CET score of the applicant. The calculation methodology for arriving at the CET score has been illustrated at *Illustration No. 2 at Annexure-C*.
- (xi) CET marks and the marks of socio-economic criteria weightage, if any, shall be declared on the website of the Commission in respect of the applicants who have achieved the specified cut-off as per sub-clause (v) above.

8. CET EXAMINATION AND MARKS FOR GROUP D POSTS:

- (i) An applicant who intends to apply for direct recruitment to any applicable Group D post shall have to appear in the CET for Group D posts.

- (ii) The Commission shall issue an advertisement for Group D posts based on requisition received from the Departments of State Government or any Board, Corporation, statutory body or any other agency owned and controlled by the State Government stating its intent to conduct the CET.
- (iii) An applicant who does not possess the CET minimum educational qualification specified for CET but has attained the minimum age before the last date of registration for CET on the designated portal and is due to appear for the examination to attain the appropriate educational qualification during the year in which the CET is conducted, shall also be eligible to appear in the CET:

Provided that such applicant shall not be eligible to apply for selection against the advertised posts like other eligible candidates of similar category having equal to or lesser CET marks until he acquires the minimum essential educational qualification and/or experience, if any, specified for that post by the last date for attaining such minimum qualification specified in the advertisement issued by the Commission.

- (iv) An applicant who has not attained the minimum age or who has crossed the maximum age limit prescribed by Government for entry into Government service for Group C post as on the last date fixed in the advertisement published by the Commission for registration for CET shall be ineligible to appear in CET. The relaxation in upper age limit to the applicants of Scheduled Castes, Backward Classes and other categories and of experience shall be admissible as per rules or instructions issued by Government from time to time.
- (v) Every applicant, who appears in the CET, shall be given marks based on his performance in the CET. An applicant of general category shall have to obtain minimum 50% marks in CET (excluding the socio-economic criteria weightage), however, an applicant of reserved category (both vertical and horizontal) shall receive concession @ 10%, for the purpose of eligibility for CET i.e. minimum cut-off for such candidates shall be 40% (excluding the socio-economic criteria weightage). An applicant of any category who obtains less than the minimum marks in CET he shall have to re-appear in CET the next or any subsequent attempt.
- (vi) The CET marks of applicants shall be declared on the website of the Commission.
- (vii) An applicant shall be eligible to reappear in CET whenever conducted on a subsequent date and the CET marks shall be revised if the applicant improves it in the next or any subsequent attempts.
- (viii) There shall be no restriction on the number of attempts to appear in the written examination component of the CET. If an applicant who has already qualified the CET for Group D post will have the option to appear again in CET to improve his CET marks in the next or any subsequent occasion, if he so desires:
- (ix) The CET marks obtained by an applicant shall be valid for a period of three years from the date of declaration of the result of CET. Provided that if an applicant improves his CET marks in the next or any subsequent attempt, then the fresh period of validity of three years shall commence from the date of declaration of result of such attempt.

For clarification on validity of CET marks, see *Illustration No. 1 at Annexure-C* of this policy.

- (x) For calculation of CET score of an applicant, the marks obtained in the CET shall be added to the score, if any, on account of socio-economic criteria weightage to arrive at the CET score of the applicant. The calculation methodology for arriving at the CET score has been illustrated at *Illustration No. 3 at Annexure-C* for ease of understanding.
- (xi) CET marks and the marks of socio-economic criteria weightage, if any, shall be declared on the website of the Commission in respect of the applicants who have achieved the specified cut-off as per sub-clause (v) above.

9. PROCESS FOR RECRUITMENT OF GROUP C POSTS:

- (i) After publication of CET Score in accordance with sub-clause (xi) of clause 7 above, the posts available for recruitment shall be advertised by the Commission alongwith the syllabus, procedure/manner of conducting skill and/or written examination of the advertised posts and last date for attaining minimum educational qualifications and/or experience. On the advertisement being issued, the Commission shall invite applications electronically of the eligible candidates based on the merit list of CET Score to know whether the candidate is willing to appear for skill and/or written examination for that post.

Provided that the maximum number of eligible candidates for the skill and/or written examination who shall be eligible to appear in such examination based on number of posts advertised by the Commission as under:-

- (a) candidates equal to five times the number of posts advertised if the number is less than 30;
- (b) 150 candidates if the number is between 30 and 40;
- (c) candidates equal to four times the number of posts advertised if the number is greater than 40;

The eligible candidates shall apply electronically on the website of the Commission using their Registration Number. The last date for submission of application shall also be mentioned in the advertisement by the Commission.

- (ii) If the CET score of the last candidate who has applied for the post in terms of sub-clause (i) above is achieved by more than one candidate, then all the candidates at the cut off CET score who have applied for the post shall be entitled to be considered for appearing in the skill and/or written examination for the post(s) advertised by the Commission.
- (iii) Only those candidates, who fulfil the minimum educational qualifications and other eligibility conditions for a post advertised by the Commission as on the last date specified in the advertisement issued by the Commission under sub-clause (i) above who applied for the post for consideration shall be issued an Admit Card and be eligible to appear in the skill and/or written examination to be conducted by the Commission.
- (iv) On receipt of requisitions of the posts of different nomenclature but of similar educational qualifications, the Commission shall be competent to hold one common skill and/or written examination with the condition that the distribution/allocation shall be on merit-based option given by the successful candidates.
- (v) When the number of candidates applying under sub-clause (i) who are eligible is less than the number limit specified in the above said clause then the Commission may extend the date by publication on the website for enabling further eligible candidates to apply.
- (vi) For consideration of a candidate against a post of general category, such candidate has to secure minimum 50% marks (excluding socio-economic criteria weightage) in the skill and/or written examination to be considered for selection/recruitment. In case of consideration against the reserved category post (whether vertical or horizontal) the candidate shall receive a concession @ 10% for the purpose of eligibility for the purpose of skill and/or written examination, i.e. the minimum cut off for such candidates shall be 40% (excluding socio-economic criteria weightage) because they have been given 10% concession in minimum marks.

For calculation of marks of skill and/or written examination of Group C post, see *Illustration No. 4 at Annexure-C* of this Policy.

- (vii) The Commission shall on the basis of marks obtained in the written/skill examination and the socio-economic criteria weightage @ 2.5%, admissible if any, shortlist the candidates for selection, recommendation or waiting list in the respective categories and publish on the website in accordance with clause 12.

For calculation of total marks of skill and/or written examination of a candidate, the marks obtained in skill and/or written examination shall be added to the score, if any, on account of socio-economic criteria weightage to derive at the total marks of skill and/or written examination of the candidate. The calculation methodology for deriving at the total marks of skill and/or written examination of a candidate has been illustrated at *Illustration No. 5 at Annexure-C* for ease of understanding.

Save as otherwise provided in any instructions of Government, in case of non-availability of eligible candidate(s) of respective category after the skill and/or written examination for the post which remain unfilled shall be re-advertised as per reservation policy. A clear mention of this condition shall be made in the advertisement issued by the Commission.

10. PROCESS FOR RECRUITMENT OF GROUP D POSTS:

The Commission shall on the basis of CET marks and the socio-economic criteria weightage @ 5%, admissible if any, shortlist the candidates for selection, recommendation or waiting list in the respective categories and publish on the website in accordance with clause 12. The posts available for recruitment shall

be advertised by the Commission to invite applications electronically of the eligible candidates based on the merit list of *CET Score* to know whether the candidate is willing to be appointed on that post. The eligible candidates shall apply electronically on the website of the Commission using their Registration Number by such last date as may be indicated in the advertisement. Accordingly, the Commission shall recommend the name to the concerned Appointing Authority for appointment to Group D post.

11. **RECOMMENDATION OF NAME OF CANDIDATE(S) BY THE COMMISSION:**

The name of eligible candidates in order of merit shall be recommended to the concerned Appointing Authority to issue appointment letter and such candidate shall be ineligible to be considered for further selection based on the CET score unless he appears afresh in CET and obtains a new CET score.

12. **WAITING LIST:**

(1) The waiting list of all Group C and D posts shall be declared by the Commission as under :-

(i)	Where the advertised number for each post is upto 25	@ 25% subject to minimum of two candidates
(ii)	Where the advertised number for each post is between 25 to 50	@ 15%
(iii)	Where the advertised number for each post is above 50	@ 10% subject to minimum of eight candidates

(2) The main list and the waiting list shall remain valid for a period of one year from the date of declaration of result.

(3) The post(s) lying vacant due to resignation or death of the selected/appointed candidate during the period of validity of the waiting list shall be filled up from the waiting list and there is no need to advertise such vacancies again till the waiting list is alive/operative.

13. **MAINTENANCE OF RECORD:**

The record of CET shall be preserved for one year from the date of declaration of result in hard copy. Digital copy of records shall be retained for five years.

14. **JURISDICTION:**

All legal disputes with regard to the CET shall be subject to the jurisdiction of Courts at Panchkula (Haryana) only.

15. **SAVINGS:**

Any action taken consequent to the issue of the earlier notification by Haryana Government, General Administration Department (in General Services-I Branch) vide No. 42/119/2019-5GS-I, dated the 10th September, 2021, including the registration of the applicants for Common Eligibility Test, shall be deemed to have been taken under this Policy.

16. **POWER TO AMEND:**

The power to interpret, change, amend and removal of doubt of any provision of this notification shall lie with the Human Resources Department.

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government, Haryana.

ANNEXURE-A

ANNEXURE-A

[See sub-clause (xi) of clause 2]

SOCIO ECONOMIC CRITERIA FOR COMMON ELIGIBILITY TEST
FOR GROUP C POSTS

Maximum five percent socio-economic criteria weightage in CET shall be admissible to eligible candidates under the following circumstances:-

- (1) An applicant who is bonafide resident of Haryana shall be entitled to 5% weightage provided that—
- neither he himself nor any person from amongst the applicant's family is/was or has been a regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Haryana Government or any other State Government or Government of India; and
 - gross annual income of the family from all sources i.e., salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application should be less than one lakh eighty thousand rupees only.

Note.— Regarding (i) and (ii), it shall be confirmed from the data of Parivar Pehchan Patra and/or HRMS.

Explanation.— The term 'regular employee' does not include a person who is working on contractual basis, daily wages or as a Guest Teacher, Anganwari Workers, etc.

(5%)

- (2) The definition of Family for the purpose of Socio-Economic Criteria—

(i)	male applicant means the applicant himself, his father, mother, wife, unmarried brother(s) and son(s);
(ii)	female unmarried applicant means the applicant herself, her father, mother and unmarried brother(s);
(iii)	female married applicant means the applicant herself, her husband, father-in-law, mother-in-law, unmarried brother-in-law and son(s);
(iv)	divorced female applicant means the applicant herself, her father, mother, unmarried brother(s) and son(s);

- (3) If the applicant being a bonafide resident of Haryana is,—

(i)	a widow; or
(ii)	the first or the second child and his father had died before attaining the age of forty-two years; or
(iii)	the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of fifteen years;

shall be entitled to 5% weightage subject to entries in Parivar Pehchan Patra or certificate issued by the competent authority in the specified proforma.

(5%)

- (4) If the applicant being a bonafide resident of Haryana belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of the State which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class shall be entitled to 5% weightage.

(5%)

- (5) If the applicant being a bonafide resident of Haryana, he shall be awarded half percent weightage for each year or part thereof exceeding six months of experience, on the same or a higher post in any Department/Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority/Co-operative Banks etc. under Haryana Government. No weightage of experience shall be awarded for any period less than six months or for a period exceeding eight years.

(Maximum 4%)

Note.— No condition of gross family income and employment of any family member in service shall be applicable for the purpose of weightage of experience.

(6) Other Conditions:

- (i) No applicant shall be given more than a total of 5% socio-economic criteria weightage under any circumstances. Thereby, if an applicant is eligible for more than 5% socio-economic criteria weightage in terms of provision in para (1) to (5) above, the socio-economic criteria weightage shall be maximum 5%.
- (ii) The weightage by Haryana Staff Selection Commission or any other recruiting agency/body under Haryana Government shall be given only once in a lifetime for appointment on regular basis to a post of Group C or D.
- (iii) If a person himself or his family member is once selected/appointed with or without getting the benefit of weightage, no other family member shall be considered for weightage for selection/appointment to the same or any other post for which application has been submitted by any member of the family, as defined in para 2 above.

Explanation.— The term 'once selected/appointed' does not include the person whose services are terminated due to revision of selection list declared in compliance of the directions of Hon'ble High Court or any other competent authority, in such case that selection/ appointment shall be ignored for this purpose.

- (iv) If at a time two or more family members become eligible for merit list of CET of the Group C and/or Group D posts and are eligible to be considered for the Socio-economic Criteria weightage in such case the elder/eldest amongst the two or more eligible family members respectively will be considered for the purpose of socio-economic criteria weightage. However, the weightage of experience shall be admissible to more than one family member, if any, based on para (5) above.
- (v) If a person resigns from government service while working on regular basis in any Department/ Board/Corporation under Haryana Government, any State Government or Government of India on whatsoever reason, he or any other family member shall not be eligible to claim the socio-economic criteria weightage again.

ANNEXURE-B

ANNEXURE-B

[See sub-clause (xi) of clause 2]

Socio Economic Criteria for Skill and/or Written Examination for Group C Posts

Maximum two and a half percent socio-economic criteria weightage in skill and/or written examination shall be admissible to eligible candidates under the following circumstances:-

- (1) An applicant who is bonafide resident of Haryana shall be entitled to 2.5% weightage provided that—
- neither he himself nor any person from amongst the applicant's family is/was or has been a regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Haryana Government or any other State Government or Government of India; and
 - gross annual income of the family from all sources i.e., salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application should be less than one lakh eighty thousand rupees only.

Note.— Regarding (i) and (ii), it shall be confirmed from the data of Parivar Pehchan Patra and/or HRMS.

Explanation.— The term 'regular employee' does not include a person who is working on contractual basis, daily wages or as a Guest Teacher, Anganwari Workers, etc.

(2.5%)

- (2) The definition of Family for the purpose of Socio-Economic Criteria—

(i)	male applicant means the applicant himself, his father, mother, wife, unmarried brother(s) and son(s);
(ii)	female unmarried applicant means the applicant herself, her father, mother and unmarried brother(s);
(iii)	female married applicant means the applicant herself, her husband, father-in-law, mother-in-law, unmarried brother-in-law and son(s);
(iv)	divorced female applicant means the applicant herself, her father, mother, unmarried brother(s) and son(s);

- (3) If the applicant being a bonafide resident of Haryana is,—

(i)	a widow; or
(ii)	the first or the second child and his father had died before attaining the age of forty-two years; or
(iii)	the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of fifteen years;

shall be entitled to 2.5% weightage subject to entries in Parivar Pehchan Patra or certificate issued by the competent authority in the specified proforma.

(2.5%)

- (4) If the applicant being a bonafide resident of Haryana belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of the State which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class shall be entitled to 2.5% weightage.

(2.5%)

- (5) If the applicant being a bonafide resident of Haryana, he shall be awarded half percent weightage for each year or part thereof exceeding six months of experience, on the same or a higher post in any Department/Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority/Co-operative Banks etc. under Haryana Government. No weightage of experience shall be awarded for any period less than six months or for a period exceeding eight years.

(Maximum 4%)

Note.— No condition of gross family income and employment of any family member in service shall be applicable for the purpose of weightage of experience.

(6) Other Conditions:

- (i) No applicant shall be given more than a total of 2.5% socio-economic criteria weightage under any circumstances. Thereby, if an applicant is eligible for more than 2.5% socio-economic criteria weightage in terms of provision in para (1) to (5) above, the socio-economic criteria weightage shall be maximum 2.5%.
- (ii) The weightage by Haryana Staff Selection Commission or any other recruiting agency/body under Haryana Government shall be given only once in a lifetime for appointment on regular basis to a post of Group C or D.
- (iii) If a person himself or his family member is once selected/appointed with or without getting the benefit of weightage, no other family member shall be considered for weightage for selection/appointment to the same or any other post for which application has been submitted by any member of the family, as defined in para 2 above.

Explanation.— The term 'once selected/appointed' does not include the person whose services are terminated due to revision of selection list declared in compliance of the directions of Hon'ble High Court or any other competent authority, in such case that selection/ appointment shall be ignored for this purpose.

- (iv) If at a time two or more family members become eligible for merit list of CET of the Group C and/or Group D posts and are eligible to be considered for the Socio-economic Criteria weightage in such case the elder/eldest amongst the two or more eligible family members respectively will be considered for the purpose of socio-economic criteria weightage. However, the weightage of experience shall be admissible to more than one family member, if any, based on para (5) above.
- (v) If a person resigns from government service while working on regular basis in any Department/Board/Corporation under Haryana Government, any State Government or Government of India on whatsoever reason, he or any other family member shall not be eligible to claim the socio-economic criteria weightage again.

Annexure-C**Illustration No. 1 : Validity of CET marks in case of improvement by an applicant:**

Mr. A appeared in CET-2022 during the year 2022 and obtained 70% marks, he appeared again in CET-2023 held in the year 2023 to improve his marks because he was not appointed against any post till that date. Now he obtained 85% marks in the CET-2023. The validity of highest marks (85%) of Mr. A will commence from the date of declaration of result of CET-2023 upto next three years or upto the date he further improves his marks in CET, whichever is earlier.

Mr. B appeared in CET-2022 during the year 2022 and obtained 84% marks, he appeared again in CET-2023 held in the year 2023 to improve his marks because he was not appointed against any post till that date. Now he obtained 75% marks. The validity of highest marks (84%) of Mr. B will remain intact commence for a period of three years from the date of declaration of result of CET-2022 and during this period the lower marks (75%) obtained in CET-2023 will be ignored.

Illustration 2 : Calculation of CET Score of an applicant for the purpose of skill and/or written examination for Group C post :

1	Total of CET Marks of Group C post	400
2	Maximum marks to be drawn from Socio-economic criteria weightage	20, i.e. @ 5% of total of CET Marks
3	Maximum Marks of CET	380, i.e., @ 95% of total of CET Marks
4	Marks obtained by the applicant in CET	300 out of 380
5	Experience of the same or higher post	5 years and 8 months. (For experience, weightage admissible @ 0.5% for each completed year or a part thereof exceeding six months subject to maximum 4%).
6	Marks of Socio-economic Criteria weightage obtained by the applicant	20+20+12 = 52 (i.e. @ 5% of non-employment of any family member + @ 5% of being Orphan and @ 3% of experience having more than 5½ years' experience, as per provision in Annexure-A)
7	Maximum marks of Socio-economic Criteria weightage to be included in the CET Score	20, i.e. 5% of total marks of CET (Out of the 52 marks of weightage, only 20 marks will be included in CET Score, remaining will be ignored because maximum 5% socio-economic criteria weightage is admissible for Group C posts, as per provision in Annexure-A)
8	Total CET Score of the applicant	300+20 = 320 out of 400

Illustration 3: Calculation of CET Score of an applicant for Group D post

1	Total of CET Marks of Group D post	100
2	Maximum marks to be drawn from Socio-economic criteria weightage	5, i.e. @ 5% of total of CET Marks
3	Maximum Marks of CET	95, i.e. @ 95% of total of CET Marks
4	Marks obtained by the applicant in CET	80 out of 95
5	Experience of the same or higher post	4 years and 9 months. (For experience, weightage admissible @ 0.5% for each completed year or a part thereof exceeding six months subject to maximum 4%).
6	Marks obtained by the applicant from the Socio-economic Criteria weightage	12.5 (i.e. @ 5% of non-employment of any family member + @ 5% of being Orphan + @ 2.5% of experience having more than 4½ years' experience)

7	Maximum marks for socio-economic criteria weightage to be included in the CET Score	5, (i.e., @ 5% of total of CET Score) (Out of the 12.5 marks of weightage, only 5 marks will be included in CET Score, remaining will be ignored because maximum 5% socio-economic criteria weightage is admissible for Group D posts)
8	Total CET Score of the applicant	80+5 = 85 out of 100

Illustration No. 4: Calculation of Marks of Skill and/or Written Examination:

If the total marks of skill and/or written examination of a post are 100, then the maximum marks of skill and/or written examination will be 97.5 and 2.5 marks of Socio-economic criteria weightage. For consideration against a Group C post of General category, a candidate (including a candidate of reserved category who has not availed any kind of concession of age, fee, qualification etc.) has to obtain minimum 48.75 marks (i.e. 50% of 97.5) of skill and/or written examination. However, for consideration against the same post of reserved category, a candidate of respective reserved category has to obtain minimum 39 marks (i.e. 40% of 97.5). The socio-economic criteria weightage of maximum 2.5%, admissible if any, will be added in the marks of skill and/or written examination.

Illustration 5: Calculation of total marks of skill/and or written examination for Group C post:

1	Total marks of skill and/or written examination and of socio-economic criteria for Group C post	100
2	Maximum marks to be drawn from Socio-economic criteria weightage	2.5, i.e. @ 2.5% of column 1 above
3	Maximum marks of skill and/or written examination	97.5, i.e. @ 97.5% of Column 1 above.
4	Marks obtained by the candidate in skill and/or written examination	80 out of 97.5
5	Experience of the same or higher post	4 years and 9 months. (For experience, weightage admissible @ 0.5% for each completed year or a part thereof exceeding six months subject to maximum 2.5%).
6	Total marks obtained by the candidate from the Socio-economic Criteria weightage	7.5 (i.e. @ 2.5% of non-employment of any family member + @ 2.5% of being Orphan + 2.5 of experience having more than 4½ years' experience)
7	Maximum marks for socio-economic criteria weightage to be included in the CET Score	2.5, (i.e., @ 2.5% of column 1 above) (Out of the total weightage of 7.5 marks, only 2.5 marks will be included in the marks of skill and/or written examination, remaining will be ignored because maximum 2.5% socio-economic criteria weightage is admissible for this purpose for Group C posts)
8	Total marks of skill and/or written examination of the candidate	80+2.5 = 82.5 out of 100



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 79-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 5, 2022 (VAISAKHA 15, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(सामान्य सेवाएं शाखा-II)

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2022

संख्या 42/119/2020-5जी०एस०-I :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, (सामान्य सेवाएं), अधिसूचना संख्या 523-3जी०एस०-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, (सामान्य सेवाएं), अधिसूचना संख्या 523-3जी०एस०-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, पैरा 6 में, खण्ड (घ) का लोप किया जाता है।

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
(General Services-II Branch)

Notification

The 5th May, 2022

No. 42/119/2020-5GS-I.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (General Services) Notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department (General Services) Notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, in para 6, clause (d) is omitted.

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government, Haryana.